*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/गै०यो०–19–03/2012 152 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 20/03/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में नगर परिषद्, बगहा में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत नगर प्रबंधक के मानदेय भुगतान की निकासी कोषागार से नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 में मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹1.81800 लाख (एक लाख एकासी हजार आठ सौ रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्यादेश सं०– 181, दिनांक– 18.11.2016 द्वारा अन्य नगर निकायों के साथ नगर परिषद्, बगहा में नियुक्त एवं कार्यरत नगर प्रबंधक के 06 माह के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹1.81800 लाख (एक लाख एकासी हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित किया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बगहा के पत्रांक– 1132, दिनांक– 05.12.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त राशि की निकासी नहीं की जा सकी थी। कोषागार पदाधिकारी के ज्ञापांक– 184, दिनांक– 01.11.2017 द्वारा उक्त राशि की निकासी नहीं किए जाने का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

उक्त के आलोक में नगर परिषद्, बगहा में नगर प्रबंधक के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹1.81800 लाख (एक लाख एकासी हजार आठ सौ रु०) पुनः निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :–

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	नगर परिषद्, बगहा	1	1,81,800.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹1.81800 लाख (एक लाख एकासी हजार आठ सौ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. **स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बगहा होंगे,** जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टपेयी चेक द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् संबंधित नगर निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज कर उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को निश्चित रूप से एक पखवारे के अंदर उपलब्ध करा दी जाय।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक–

22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

5. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

6. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

7. उक्त स्वीकृत राशि ₹1.81800 लाख (एक लाख एकासी हजार आठ सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष– 0008–नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष– 0008.31.04–सहायक अनुदान– वेतन, विपत्र कोड सं०– **48-2217801920008** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

8. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2018 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा ।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/गै०यो०–19–03/2012 के पृष्ठ सं०–101/टि० पर दिनांक–21.3.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–102/टि० पर दिनांक–21.3.18 को प्राप्त है ।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बगहा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/गै०यो०–19–03/2012 152 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–23.3.18

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बगहा/नगर प्रबंधक, संबंधित नगर निकाय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई0मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी/किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

22.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/गै०यो०–19–03/2012 153 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, बगहा।

पटना, दिनांक–20/3/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में नगर परिषद्, बगहा में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत नगर प्रबंधक के मानदेय भुगतान की निकासी कोषागार से नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 में मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹1.81800 लाख (एक लाख एकासी हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्यादेश सं०– 181, दिनांक– 18.11.2016 द्वारा अन्य नगर निकायों के साथ नगर परिषद्, बगहा में नियुक्त एवं कार्यरत नगर प्रबंधक के 06 माह के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹1.81800 लाख (एक लाख एकासी हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित किया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बगहा के पत्रांक– 1132, दिनांक– 05.12.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त राशि की निकासी नहीं की जा सकी थी। कोषागार पदाधिकारी के ज्ञापांक– 184, दिनांक– 01.11.2017 द्वारा उक्त राशि की निकासी नहीं किए जाने का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

उक्त के आलोक में नगर परिषद्, बगहा में नगर प्रबंधक के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹1.81800 लाख (एक लाख एकासी हजार आठ सौ रु०) मात्र पुनः विभागीय राज्यादेश सं०– 152 दिनांक–20/3/18 के आलोक में निम्नवत् आवंटित किया जाता है :–

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	आवंटित राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	नगर परिषद्, बगहा	1	1,81,800.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹1.81800 लाख (एक लाख एकासी हजार आठ सौ रु०) मात्र।

2. **आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बगहा होंगे,** जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टपेयी चेक द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् संबंधित नगर निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज कर उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को निश्चित रूप से एक पखवारे के अंदर उपलब्ध करा दी जाय।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक–

22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

6. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

7. उक्त आवंटित राशि ₹1.81800 लाख (एक लाख एकासी हजार आठ सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष– 0008–नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष– 0008.31.04–सहायक अनुदान– वेतन, विपत्र कोड सं०– **48-2217801920008** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

8. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2018 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा ।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/गै०यो०–19–03/2012 153 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–23/3/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर प्रबंधक, संबंधित नगर निकाय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई0मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

23.3.18

सरकार के विशेष सचिव।